



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273322
CG-DL-E-11062026-273322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2873]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948

No. 2873]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.आ. 2969(अ).— केन्द्रीय सरकार मानव अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन जम्मू – कश्मीर और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित भारत के राजपत्र में का.आ. 1372(अ), तारीख 15 मार्च, 2024 के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय, तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है।

[फा. सं. एस.12011/02/2022-एमएस]

विजय नेहरा, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

S.O. 2969(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994), the Central Government hereby rescinds the notification published in the Gazette of India *vide* S.O. 1372(E), dated the 15th March, 2024, relating to appointment of the Appropriate Authorities for the Union territories of Jammu and Kashmir and National Capital Territory of Delhi under the said Act, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with immediate effect.

[F. No. S.12011/02/2022-MS]

VIJAY NEHRA, Addl. Secy.